न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—191/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—83/26
बिहार राज्य बनाम् राजु कुमार साव।

राजु कुमार साव, पे0—श्री कृष्ण साव, उम्र लगभग—35 वर्ष।
साकिन—कौआकोल जोगाचक, थाना—कौआकोल, जिला—नवादा।
....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से— मो0 मकबूल खान, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से— श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

10.03.2026 काराधीन अभियुक्त राजु कुमार साव की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 11.02.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या—83/2026 के अंतर्गत धारा 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है, सिर्फ पैसा ऐठने के लिए झूठा केस में फंसाया गया है। आवेदक एक गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को अगर श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो कभी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगा। आवेदक दिनांक 11.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—191 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—83 / 26
बिहार राज्य बनाम् राजु कुमार साव।

लगातार

10.03.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 10.02.2026 को समय करीब 04:00PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि राजु कुमार साव, पिता—श्री कृष्ण साव अपने टी0भी0एस0 XL 100 लूना मोटरसाईकिल, जिसका रजि0 नं0—BR-27R-1802 से विदेशी शराब समय करीब 05:00PM से 06:00PM बजे शाम कौआकोल की ओर से कसार थाना अंतर्गत बरूना—बरनी से होते हुए महुली गॉव में पहुंचाने आता है। ससमय छापामारी करने पर शराब के साथ गिरफ्तारी की जा सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराकर मेरे द्वारा एक छापेमारी दल का गठन कर समय करीब 06:30PM बजे कसार थाना अंतर्गत बरूना—बरनी गॉव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पहुंचकर छापामारी दल द्वारा छुपकर आने वाले मोटरसाईकिल पर पैनी नजर रखी जाने लगी। समय करीब 06:40PM बजे एक व्यक्ति काले रंग का लूना मोटरसाईकिल से आता नजर आया। मोटरसाईकिल के सीट और पेट्रोल टंकी के बीच में पायदान के उपर एक प्लास्टिक का झोला रखा था, तो शंका हुआ कि वह वही व्यक्ति है, जिसके बारे में गुप्तचर द्वारा बताया गया है। तत्पश्चात छापामारी दल द्वारा लूना मोटरसाईकिल को तत्परता के साथ बरूना—बरनी गॉव की ओर जाने सड़क के किनारे घेराबंदी कर रोका गया तथा उस व्यक्ति से नाम पता पूछने पर वह घबड़ा गया तथा उसने अपना नाम राजु कुमार साव, पे0—श्री कृष्ण साव, उम्र लगभग—35 वर्ष, साकिन—कौआकोल जोगाचक, थाना—कौआकोल, जिला—नवादा बताया। राजु कुमार साव तथा उसके कब्जे वाले लूना मोटरसाईकिल को विधिवत नियमों का पालन करते हुए तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में लूना मोटरसाईकिल के सीट और पेट्रोल टंकी के बीच में पायदान के उपर एक प्लास्टिक के झोला को खोलकर तलाशी लिया गया तो झोला के अन्दर से एक कार्टून था, जिसे फारकर देखने पर कार्टून के अन्दर Royal Stag का 375ml का 24 बोतल अंग्रेजी शराब था, जिसका (B.T No-0119, Dt-20.12.25) For sale in Jharkhand Only) मात्रा—375ml X 24 बोतल = 09.000 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। तत्पश्चात राजु कुमार साव के कब्जे वाले मोटरसाईकिल का निरीक्षण करने पर मोटरसाईकिल काले रंग का टी0भी0एस0 XL 100 लूना पाया गया। लूना मोटरसाईकिल के उपर रजि0 नं0—BR-27R-1802 चेचीस नं0 अस्पष्ट, इंजन नं0— BP2HL1424759 अंकित पाया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–191/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–83/26
बिहार राज्य बनाम् राजु कुमार साव।

लगातार

10.03.2026 अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 11.02.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 10–03–2026.

Date of Judgment/ Order	10.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	10.03.2026
Uploading Date	11.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.